



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175146

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -
7663/2026

सुफियान

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अलाउद्दीन, फकरुद्दीन

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- 1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 31 वर्ष 2026, धारा 137(2), 87, 127(2), 61(2) बी.एन.एस., थाना-बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है; इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक दिनांक 03.03.2026 की एफ.आई.आर. में नामित नहीं है, जो दिनांक 01.01.2026 और 25.02.2026 के मध्य किए गए कथित घटना के संबंध में दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में केवल सह-अभियुक्त अख्तर खान को नामित किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि पीड़िता को सह-अभियुक्त अख्तर खान बहला-फुसलाकर ले गया था। एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने से पूर्व ही पीड़िता को बरामद कर लिया गया था। इसके बावजूद, एफ.आई.आर. में आवेदक को नामित नहीं किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि जब पीड़िता का बयान धारा 180 भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित किया गया, तब उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। जब उसका बयान धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित किया गया, तब उसने पहली बार आवेदक का नाम लिया और आरोप लगाया कि आवेदक द्वारा उसे एक दुकान में निरुद्ध किया गया था। धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित उसके बयान में पीड़िता द्वारा आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया। बलात्कार का आरोप सह-अभियुक्त अख्तर खान के विरुद्ध लगाया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि जब पीड़िता को धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन उसका बयान अभिलिखित करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब उसने एक झूठा बयान दिया था। यदि घटना पीड़िता द्वारा आरोपित तरीके से घटित हुई होती, तो इस कथन का उल्लेख स्वयं एफ.आई.आर. में हुआ होता। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, तब उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, तथापि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

5- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ देना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को



अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है अथवा नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है।

7- **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 676** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो जाती है या यह जघन्य अपराध हो अथवा जहाँ साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह अधिदेश नहीं देता है कि गिरफ्तारी अवश्य की जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा और वास्तव में उसने पूरी अवधि में विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक-**सुफियान** की गिरफ्तारी की दशा में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, रिहा किया जाएगा।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा और विवेचना किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित किया जाएगा, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10- किसी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

राधिका